

सामुदायिक स्वास्थ्य, एनएचएम, उत्तर प्रदेश में छह महीने के ब्रिज प्रोग्राम (प्रमाण पत्र) के लिए लिखित

परीक्षा परिणाम और प्रस्ताव पत्र के संबंध में निर्देश और दिशानिर्देश

सामुदायिक स्वास्थ्य, एनएचएम, उत्तर प्रदेश में छह महीने के ब्रिज प्रोग्राम (प्रमाण पत्र) के लिए, दोनों सत्रों (जुलाई २०१९ सत्र और जनवरी २०२० सत्र) के लिए, लिखित परीक्षा १६ जून, २०१९ को आयोजित की गई थी।

दोनों सत्रों के लिए परिणाम घोषित किया जा रहा है, अर्थात् (जुलाई २०१९ सत्र और जनवरी २०२० सत्र)।

सीएचओ के परिणाम की जांच कैसे करें:

परिणाम www.sams.co.in पर अपलोड किया जाएगा, उम्मीदवार आवेदन संख्या (जैसा कि एडमिट कार्ड और ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) और जन्म तिथि दर्ज करके अपना परिणाम देख सकते हैं

परिणाम में चार टिप्पणियां होंगी:

चुने गए: संबंधित जिला अधिकारी द्वारा सफल दस्तावेज सत्यापन के बाद, सीएचओ पद की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार पात्र है;

प्रतीक्षा सूची: यदि किसी चुने गए उम्मीदवार की पद नियुक्ति न होने के कारण कोई पद खाली हो जाता है। राज्य आरक्षण नीति के साथ संरेखण में, रिक्त पद को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवार को प्रयुक्त किया जाएगा। उम्मीदवार को संबंधित जिला अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में सफल होना चाहिए;

चुने न गए: उम्मीदवार द्वारा प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार से कम अंक प्राप्त किए गए, लेकिन कट ऑफ अंक से ऊपर;

असफल: उम्मीदवारों ने कट ऑफ अंक से कम अंक प्राप्त किए।

कृपया ध्यान दें कि जिन उम्मीदवारों को जुलाई २०१९ सत्र में प्रतीक्षा सूची में रखा गया है वे जनवरी २०२० के सत्र के परिणाम में अनंतिम चुने हुए सूची में आ सकते हैं।

कट ऑफ अंक:

(१) अन-आरक्षित के लिए ३३%;

(२) ओबीसी के लिए ३०%

(३) एससी, एसटी के लिए २४%

जुलाई २०१९ सत्र परिणाम के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश:

(क) जुलाई २०१९ सत्र के लिए, २,८०५ रिक्त पदों के लिए चुने हुए की घोषणा की जाएगी और १:५ के अनुपात में एक प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है

(ख) मेरिट रैंक के अनुसार, जुलाई २०१९ सत्र की प्रतीक्षा सूची, जनवरी २०२० के सत्र के लिए ३,१८४ रिक्त पदों के सामने अनंतिम रूप से चुना हुआ माना जाएगा।

(ग) यदि एक उम्मीदवार जुलाई २०१९ सत्र के लिए चुना जाता है और जुलाई २०१९ सत्रों में पद ग्रहण नहीं करता/ तो वह जनवरी २०२० सत्र के लिए पात्र नहीं होगा, और उसका/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(घ) यदि जुलाई २०१९ सत्र की प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवार चुना जाता है, तो जनवरी २०२० सत्र के लिए वह पात्र नहीं होगा और जनवरी २०२० सत्र के लिए उसका/उसकी उम्मीदवारी स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी, भले ही उसकी/उसका टिप्पणी जनवरी २०२० सत्र के लिए अंतिम चुना हुआ है।

जनवरी २०२० सत्र परिणाम के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश:

(क) जनवरी २०२० के सत्र के लिए, मेरिट रैंक के अनुसार, जुलाई २०१९ सत्र की प्रतीक्षा सूची, ३,१८४ के सामने अंतिम रूप से विचार किया जाएगा (३१९५ रिक्त पदों में से ११ पदों को अगले आदेश तक आरक्षित रखा जा रहा है)

(ख) यदि उम्मीदवार के पद ग्रहण न करने के कारण कोई पद रिक्त हो जाता है। राज्य आरक्षण नीति के साथ संरेखण में, पद को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों को प्रयुक्त किया जाएगा। संबंधित जिला अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में उम्मीदवार सफल होना चाहिए;

ध्यान दें: जुलाई २०१९ सत्र की पद ग्रहण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, जनवरी २०२० सत्र की चुने हुए और प्रतीक्षा सूची का अंतिम परिणाम अंतरिमतापूर्वक नवंबर/ दिसंबर २०१९ में घोषित किया जाएगा। जुलाई २०१९ सत्र में चुने हुए या प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को जिसे पद की पेशकश की गयी है, ऐसे उम्मीदवार को जनवरी २०२० सत्र के अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किया जायेगा।

जुलाई २०१९ सत्र के लिए प्रस्ताव पत्र:

चुने हुए उम्मीदवारों के प्रस्ताव पत्र www.sams.co.in पर अपलोड किए जाएंगे। चुने हुए उम्मीदवार अपने आवेदन आईडी / रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना प्रस्ताव पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

स्थान आवंटन:

उम्मीदवारों के मेरिट रैंक और ऑनलाइन आवेदनों में प्रदान की गई उनकी जिला वरीयता के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। संबंधित उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो घोषणा की गई थी, उसके अनुसार कि "मैं पूरी तरह से समझता हूं कि उपरोक्त अनुसार, स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना उद्देश्यों के लिए प्रार्थित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में उम्मीदवार की मेरिट लिस्ट रैंक के आधार पर एनएचएम, युपी के अधिकारियों द्वारा जॉब पोस्टिंग तय की जाएगी। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से एनएचएम, युपी द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूं।"

दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया:

(क) जिला में सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चुने हुए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा।

(ख) चुने हुए उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, अनुभव, पंजीकरण, आदि) भरने के समय पूछे गए थे।

(ग) चुने हुए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, चयन के लिए रद्द कर दी जाएगी जिनके पास विज्ञापन में आवश्यक TOR के अनुसार अपेक्षित क्रेडेंशियल / दस्तावेज / अनुभव / पंजीकरण नहीं हैं।

(घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय घोषणा की स्वीकृति के अनुसार तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा।

(ङ) उम्मीदवारों जो निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद ग्रहण करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को पद का प्रस्ताव दिया जायेगा।

निष्पादन बांड पर हस्ताक्षर:

छह महीने के प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद कम से कम तीन साल के लिए उप केंद्र / स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में सेवा करने के लिए उम्मीदवारों को एक निष्पादन बांड पर हस्ताक्षर करना होगा।

पद ग्रहण:

दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं के सफल समापन के बाद, जिला में संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।